कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस
14 सितंबर, 2018

"हिन्दी दिवस" 14 सितंबर, 2018 के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली परिवार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

भारत की सभी भाषाएं हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिंदी के प्रचार की महत्ता है। इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाये जाने वाले हिंदी दिवस का विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम सभी पर है।

हिंदी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हिंदी भाषा हमारी पहचान और परिभाषा है। आज यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को अधिकाधिक स्वीकार्य बनाते हुए सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। यह हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों में जिला न्यायालय दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा, दोनों रूपों में, हिंदी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें और पूरे मनोयोग से राजभाषा हिन्दी को अपनाएँ।

तलवंत सिंह

(तलवंत सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 59745-59945 /हिंदी/237-238/2018 **दिल्ली, दिनांक** 12/9/18

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, नई दिल्ली, दिल्ली/नई दिल्ली। **इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित करवाएं।**
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. श्री वीरेन्द्र गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा, दिल्ली/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली, श्री तरुण सहरावत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली।
4. कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, नई दिल्ली, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार।
8. वेबसाइट समिति (अँग्रेजी/हिन्दी), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

नोट : कृपया अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

तलवंत सिंह

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

समस्त कर्मचारियों में परिचालित करवाएं

नोडल अधिकारी
(हिन्दी अनुभाग)

देखा गया।
प्रभारी अधिकारी: कंप्यूटर शाखा

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, द्वारका

संख्या: 21454-534 /हिंदी अनुभाग/द्वारका/2018 दिनांक: 14-9-18

माननीय नोडल अधिकारी (हिंदी अनुभाग), के आदेशानुसार परिपत्र कि प्रतिलिपि सभी सम्बंधित अधिकारियों को सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जा रही है :-

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी (द. प.), इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से सभी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को, जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
2. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाखा प्रभारी, इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से, सभी सम्बंधित कर्मचारियों को, जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
3. सचिवालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द.प.)।

शाखा प्रभारी, (हिंदी अनुभाग)
द्वारका न्यायालय